न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 04/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/118

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सताराम पुत्र चमना, 2 गोवाराम पुत्र चमना, 3 समरथाराम पुत्र चमना, जातियान–कलबी, निवासीगण– पलादर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 गुलाबनाथ पुत्र तगेनाथ, 2 वचनाराम पुत्र तगेनाथ, जातियान–स्वामी, निवासीगण– छोटी विरोल, तहसील–सांचौर, 3 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला–जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 17.01.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :– 17.01.2025

:– निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा पलादर, पटवार हल्का–विरोल में हमारे खातेदारी के खेत खसरा नंबर 468 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नंबर 470 रकबा 1.26 हैक्टेयर चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नंबर 471 रकबा 2.16 हैक्टेयर चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नंबर 933 रकबा 1.18 हैक्टेयर बारानी दोयम कुल खसरे 4 कुल 4.67 हैक्टैयर के आये हुए है जो राजस्व रेकर्ड में हम प्रार्थीगण के नाम से 1/3, 1/3 हिस्सा दर्जसुदा व कब्जा काश्त सुदा है। अब हम प्रार्थीगण उपरोक्त खेतों की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के खेतों के पड़ौसी अप्रार्थीगण हमेशा हमारे खेत के सेढ़े नष्ट कर माठे आगे पिछे करते रहते है। इस हेतु मुझ प्रार्थी सताराम ने पूर्व में श्रीमान तहसीलदार सांचौर को खेतों की पैमाईश हेतु आवेदन किया था जिस पर श्रीमान तहसीलदार सांचौर द्वारा हल्का पटवारी गो के नाम आदेश दिनांक 20.05.2024 को दिया गया जिस पर हल्का पटवारी विरोल ने उपरोक्त खेत खसरा नंबर 468, 470, 471, 933 की पैमाईश हेतु मौके पर आये लेकिन उक्त खेतों की पैमाईश करने हेतु मौके पर आये तब मुझ प्रार्थी के खसरा नंबर 470 व 471 की दक्षिणी माठ तोड़कर पड़ौसी खेत खसरा नंबर 1 के खातेदार अप्रार्थी प्रार्थीगण के खेतों के अंदर तक कब्जा करने से स्थिति मौके विवादित होने से पैमाईश करने हेतु राजस्व टीम गठित कर मय पु[illegible] साथ पैमाईश करने का आदेश दिनांक 18.06.2024 को आदेश 2302 दिनांक 18.06.2024 को जारी किया जिस पर राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर खेत खसरा नंबर 470 व 471 की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार की गई तथा मौके पर निशान चिन्ह लगाये लेकिन दुसरे ही दिन अप्रार्थीगण ने मौके पर निशान चि[illegible]लगाये लेकिन दुसरे ही दिन अप्रार्थीगण ने मौके पर निशान चिन्ह पर लगाये नष्ट कर दिये तथा अप्रार्थीगण हमैशा माठे तोड़कर विवाद पैदा करते रहते है। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण उपरोक्त खेतों की स्थायी सीमाबन्दी पत्थरगढ़ी करवाकर सीमा विवाद का निपटारा करवाना चाहते है ऐसी सुरत में यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। निवेदन है कि श्रीमान सरहद मौजा सांचौर के खेत खसरा नंबर 470, 471 की पैमाईश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.02.07 17:05:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]
सांचौर

पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदारजी सांचौर को दिलावें तथा पत्थरगढी के वक्त शांति व्यवस्था बनी रहे इस हेतु पुलिस व लेडिज पुलिस की व्यवस्था करवाई जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेतों प्रार्थीगण के खेतों के पड़ौसी अप्रार्थीगण हमेशा हमारे खेत के सेढ़े नष्ट कर माठे आगे पिछे करते रहते है। इस हेतु मुझ प्रार्थी सताराम ने पूर्व में श्रीमान तहसीलदार सांचौर को खेतों की पैमाईश हेतु आवेदन किया था जिस पर श्रीमान तहसीलदार सांचौर द्वारा हल्का पटवारी गो के नाम आदेश दिनांक 20.05.2024 को दिया गया जिस पर हल्का पटवारी विरोल ने उपरोक्त खेत खसरा नंबर 468, 470, 471, 933 की पैमाईश हेतु मौके पर आये लेकिन उक्त खेतों की पैमाईश करने हेतु मौके पर आये तब मुझ प्रार्थी के खसरा नंबर 470 व 471 की दक्षिणी माठ तोड़कर पड़ौसी खेत खसरा नंबर 1 के खातेदार अप्रार्थी प्रार्थीगण के खेतों के अंदर तक कब्जा करने से स्थिति मौके विवादित होने से पैमाईश करने हेतु राजस्व टीम गठित कर मय पुलिस इमदाद के साथ पैमाईश करने का आदेश दिनांक 18.06.2024 को आदेश 2302 दिनांक 18.06.2024 को दिया जिस पर राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर खेत खसरा नंबर 470 व 471 की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार की गई तथा मौके पर निशान चिन्ह लगाये लेकिन दुसरे ही दिन अप्रार्थीगण ने मौके पर निशान चिन्ह लगाये लेकिन दुसरे ही दिन अप्रार्थीगण ने मौके पर निशान चिन्ह पर लगाये नष्ट कर दिये तथा अप्रार्थीगण हमैशा माठे तोड़कर विवाद पैदा करते रहते है। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण उपरोक्त खेतों की स्थायी सीमाबन्दी पत्थरगढ़ी करवाकर सीमा विवाद का निपटारा करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश नकल खातेदारी भूमि की जमाबंदी नकल अप्रार्थीगण के खेत की जमाबंदी नकल पैमाईश रिपोर्ट, नकल मौका फर्द, तहसीलदार सांचौर के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खातेदान् के मध्य माठ को लेकर विवाद होना प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि वाके सरहद [illegible] पलादर के खेत खसरा संख्या 470, 471 रकबा क्रमशः 1.26 हैक्टेयर, 2.[illegible] हैक्टेयर भूमि की [illegible] कर उभयपक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त आराजी के दक्षिणी माठ पर स्थायी पत्थरगढ़ी करवाई जावे। पत्थर[illegible] का तमाम व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करें। पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod K
Date: 2025.02.07 17:05:40 IS
Reason: SelfAttested